

01/06/26

पत्रावली वास्वे दिगडि पेला डुरी वडील वरिष्ठ
उप.। पाउ वरिष्ठ मीरट रिमा जला हा पिहल
दिगडि शाकि- उदा गडम डिफे पाटी हा नेपल
से फड हा दिगडि मुगला गडम

सपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

GCMC
2025/216

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 111/2025 G.O.M.S.-2025/216

दायरा दिनांक : 15.04.2025

1. पतराम पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी गोविन्दसर हाल आबाद चक 11 ए.एस. (कूपली) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. कमला पत्नी पतराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर हाल आबाद चक 11 ए.एस. (कूपली) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

बनाम

1. इमरती पत्नी मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 1/1 सूलोचना पुत्री मामराज पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1/2 पृथ्वीराज पुत्र मामराज जाति जाट निवासी चक 13 ए.एस. (भागसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1/3 द्रोपती पुत्री इमरती पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1/4 कलावती पत्नी साहबराम पुत्री इमरती जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. उदाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. कालूराम पुत्र भूपराम (अविवाहित फौत) जरिये वारिस माता
 - 4/1 नारायणीदेवी पत्नी भूपराम जाति जाट निवासी चक 3 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. काली पुत्री भूपराम पत्नी दलीप जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. गायत्रीदेवी पुत्री भूपराम पत्नी लाकेश जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. चैनाराम पुत्र नानूराम (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 7/1 कमला पत्नी चैनाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 7/2 श्रवण कुमार पुत्र चैनाराम (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 7/2/1 गुड्डी पत्नी श्रवण कुमार
 - 7/2/2 सावत्री पत्नी श्रवण कुमार
 - 7/2/3 हेतराम
 - 7/2/4 राकेश
 - 7/2/5 चन्दोदेवी
 - 7/2/6 निरमा
 - 7/3 अमराराम पुत्र चैनाराम (फौत) जरिये वारिसान :-
 - 7/3/1 कृष्णा } पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर।
 - 7/3/2 पूनम } पुत्रीयां अमराराम अकवाम जाट
 - 7/3/3 ममता } निवासीयान नाहरवाली ढाबां
 - 7/3/4 बबलू } पुत्रगण अमराराम अकवाम जाट
 - 7/3/5 मुकेश } निवासीयान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।
 - 7/4 सीताराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 7/5 पप्पी पुत्री चैनाराम पत्नी रामजस जाति जाट निवासी भाखरावाली
 - 7/6 विद्यादेवी पुत्री चैनाराम पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी भाखरावाली।
 - 7/7 बिरमा पुत्री चैनाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी भाखरावाली।
 - 7/8 संतो पुत्री चैनाराम पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी भाखरावाली।
8. जगदीश पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।
9. वेद प्रकाश } पुत्रगण भूपराम अकवाम जाट निवासीयान गोविन्दसर
10. श्योपतराम } तहसील सूरतगढ़



क्रमशः पेज 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

11. हुक्माराम पुत्र नानूराम (फौत) जरिये वारिसान :-

11/1 सन्तरोदेवी पत्न हुक्माराम जाति जाट

11/2 रामेश्वर पुत्र हुक्माराम (फौत) जरिये वारिसान :-

11/2/1 मैना पत्नी रामेश्वरलाल

11/2/2 प्रवीण उम्र 12 वर्ष } पिसरान रामेश्वरलाल नाबालिक

11/2/3 मोन्टो उम्र 09 वर्ष } जरिये माता मैना पत्नी

रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।

11/3 भादरराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर

11/4 जीतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर

11/5 सरोज पत्नी कुलदीप } पुत्रगण हुक्माराम अकवाम जाट

11/6 पार्वती पत्नी रजिराम } निवासीयान फकीरावाली

11/7 सुमन पत्नी शिशपाल पुत्री हुक्माराम जाति जाट निवासी नाहरावाली ढाबां।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिती :-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एडवोकेट, वादीगण
2. पैरोकार राज

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 01.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस सुनी गयी। वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है
वादीगण व प्रतिवादी नं. 01 ता 11 के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 3 जी.डी.एम. के खाता नं. 50/12 के पत्थर नं. 19/23 (35) के किला नं. 16-17 में 0.506 है0, 24-25 में 0.506 है0 = 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/31 (36) के किला नं. 19 में 0.253 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.228 है0 22 ता 25 में 1.012 है0 = 1.721 है0 कमाण्ड, व पत्थर नं. 19/32 (53) के किला नं. 3 ता 5 में 0.759 है0 कमाण्ड, व पत्थर नं. 19/39 (37) के किला नं. 21 में 0.253 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/40 (52) के किला नं. 1 में 0.253 है0, इस प्रकार कुल 3.998 है0 में से वादी नं. 01 का 2789/7996 हिस्सा व वादीया नं. 02 का 2457/7996 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 01 का 21/1999 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 02 का 167/3998 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 03 का 167/3998 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 04 का 11/3998 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 05 का 5/1999 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 06 का 5/1999 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 07 का 83/1999 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 08 का 167/3998 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 09 का 11/3998 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 10 का 11/3998 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 11 का 83/1999 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 4/1 नारायणीदेवी का 113/3998 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 1/1 सुलोचना का 21/1999 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 02 पृथ्वीराज का 146/1999 हिस्सा, दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण का घरू बंटवारा के मुताबिक वाके चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/31 के किला नं. 20 में 0.228 है0, 22 ता 25 में 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 3 में 0.162 है0 पश्चिमी पासा = 1.402 है0 कमाण्ड भूमि में वादी नं. 01 का कब्जा काश्त है व इसी क्रम चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/23 के किला नं. 17 में 0.253 है0, 24-25 में 0.506 है0, = 0.759 है0, व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 4 में 0.2165 है0, 5 में 0.253 है0 = 0.4695 है0 इस प्रकार कुल 1.2285 है0 पर वादीया नं. 02 का कब्जा काश्त है। वादीगण घरूबंटवारा में प्राप्त उक्त रकबा पर काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार वादीगण, प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाना चाहते हैं ताकि खाता विभाजन से वादीगण की स्पष्ट भूमि पर हक हो सके व भविष्य में कठिनाई से बच सके। प्रत्येक काश्तकार उनकी भूमि का खाता विभाजन करवाकर स्पष्ट भूमि का खाता अपने नाम करवाने का काश्तकारी अधिनियम का अधिकारी है। इसलिये वादीगण जैरवाद भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। साधारण व रजिस्टर्ड सम्मन से उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण को दिनांक 14.10.2025 को जरिये अखबार दैनिक समाचार पत्र में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु के आदेश दिये गये जिसकी पालना वादीगण द्वारा होने के उपरान्त प्रतिवादी नं. 1 ता 11/7 के खिलाफ अदालत में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य हेतु शपथपत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल हुए। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर गवाहों के ब्यान की जिरह शुन्य रही। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.05.2026 को पेश हुई।

इसके पश्चात वादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गयी। जिसमें वादीगण के अधिवक्ता ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता क्रमशः पेज 03 पर



88
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)


में वाके चक 3 जी.डी.एम. के खाता नं. 50/12 के पत्थर नं. 19/23 (35) के किला नं. 16-17 में 0.506 है0, 24-25 में 0.506 है0 = 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/31 (36) के किला नं. 19 में 0.253 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.228 है0 22 ता 25 में 1.012 है0 = 1.721 है0 कमाण्ड, व पत्थर नं. 19/32 (53) के किला नं. 3 ता 5 में 0.759 है0 कमाण्ड, व पत्थर नं. 19/39 (37) के किला नं. 21 में 0.253 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/40 (52) के किला नं. 1 में 0.253 है0, इस प्रकार कुल 3.998 है0 में से वादी नं. 01 का 2789/7996 हिस्सा व वादीया नं. 02 का 2457/7996 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 01 का 21/1999 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 02 का 167/3998 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 03 का 167/3998 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 04 का 11/3998 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 05 का 5/1999 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 06 का 5/1999 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 07 का 83/1999 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 08 का 167/3998 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 09 का 11/3998 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 10 का 11/3998 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 11 का 83/1999 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 4/1 नारायणीदेवी का 113/3998 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 1/1 सुलोचना का 21/1999 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 02 पृथ्वीराज का 146/1999 हिस्सा, दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चूंकि वादी नं. 01 की माता इमरतीदेवी फौत हो चुकी है। उक्त भूमि में वादीगण की माता के नाम से 21/1999 हिस्सा यानि 0.042 है0 भूमि में से वादी नं. 01 का 1/5 हिस्सा, कानूनी बनता है। इसी को सम्मलित करते हुए वादीगण को घरू बंटवारा में चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/31 के किला नं. 20 में 0.228 है0, 22 ता 25 में 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 3 में 0.162 है0 पश्चिमी पासा = 1.402 है0 कमाण्ड भूमि मे वादी नं. 01 का कब्जा काश्त है व इसी क्रम चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/23 के किला नं. 17 में 0.253 है0, 24-25 में 0.506 है0, = 0.759 है0, व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 4 में 0.2165 है0, 5 में 0.253 है0 = 0.4695 है0 इस प्रकार कुल 1.2285 है0 पर वादीया नं. 02 का कब्जा काश्त है। इसी अनुसार वादीगण खातेदारी घोषित होने के पूरे पात्र है व वादी नं. 01 की माता इमरती का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन योग्य है। इसी अनुसार वादीगण घरेलू बंटवारानुसार उक्त किला जात का खाता विभाजन का निवेदन किया।



बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपरोक्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण नं. 01 जो वादी नं. 01 की माता है, का रकबा कलमजन करते हुए वादी नं. 01 व प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 जायज वारिसान है जायज वारिसान की हैसियत से इमरती के नाम अंकित भूमि 0.042 है0 में से वादी नं. 01 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक व शेष भूमि का प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 को खातेदारी कृषक घोषित किया जाना उचित समझते है व वादी नं. 01 की माता इमरती का नाम कलमजन किया जाना उचित है। वादी नं. 01 की माता इमरती का हिस्सा सम्मलित करते हुए घरेलू बंटवारा में किला जात का प्रतिवादीगण का कोई जवाब दावा या साक्ष्य से कोई आपती नहीं की गयी इसलिये वादी नं. 01 को चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/31 के किला नं. 20 में 0.228 है0, 22 ता 25 में 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 3 में 0.162 है0 पश्चिमी पासा = 1.402 है0 कमाण्ड भूमि व इसी क्रम वादीया नं. 02 को चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/23 के किला नं. 17 में 0.253 है0, 24-25 में 0.506 है0, = 0.759 है0, व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 4 में 0.2165 है0, 5 में 0.253 है0 = 0.4695 है0 = 1.2285 है0 कमाण्ड भूमि का खातेदारी कृषक घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है।

अतः विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा मे से प्रतिवादी नं. 01 इमरती के नाम अंकित भूमि कलमजन किया जाकर उनके नाम अंकित भूमि 0.042 है0 कमाण्ड भूमि में से वादी नं. 01 व प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 को बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इमरती के नाम अंकित भूमि का 1/5 हिस्सा भूमि को सम्मलित करते हुए वादी नं. 01 को चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/31 के किला नं. 20 में 0.228 है0, 22 ता 25 में 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 3 में 0.162 है0 पश्चिमी पासा = 1.402 है0 कमाण्ड भूमि व इसी क्रम वादीया नं. 02 को चक 3 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 19/23 के किला नं. 17 में 0.253 है0, 24-25 में 0.506 है0, = 0.759 है0, व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 4 में 0.2165 है0, 5 में 0.253 है0 = 0.4695 है0 = 1.2285 है0 कमाण्ड भूमि का खातेदारी कृषक घोषित किया जाकर खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिये जाते हैं तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़ (सजद)
 सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(बड़जलास :- श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.)

--: अनवान :-

1. पतराम पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी गोविन्दसर हाल आबाद चक 11 ए.एस. (कूपली) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. कमला पत्नी पतराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर हाल आबाद चक 11 ए.एस. (कूपली) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

बनाम

1. इमरती पत्नी मामराज (फौत) जरिये वारिसान :-

1/1 सूलोचना पुत्री मामराज पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/2 पृथ्वीराज पुत्र मामराज जाति जाट निवासी चक 13 ए.एस. (भागसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/3 द्रोपती पुत्री इमरती पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/4 कलावती पत्नी साहबराम पुत्री इमरती जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

2. उदाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3. कृष्णलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. कालूराम पुत्र भूपराम (अविवाहित फौत) जरिये वारिस माता

4/1 नारायणीदेवी पत्नी भूपराम जाति जाट निवासी चक 3 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5. काली पुत्री भूपराम पत्नी दलीप जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

6. गायत्रीदेवी पुत्री भूपराम पत्नी लाकेश जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

7. चैनाराम पुत्र नानूराम (फौत) जरिये वारिसान :-

7/1 कमला पत्नी चैनाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

- 7/2 श्रवण कुमार पुत्र चैनाराम (फौत) जरिये वारिसान :-

7/2/1 गुड्डी पत्नी श्रवण कुमार

7/2/2 सावत्री पत्नी श्रवण कुमार

7/2/3 हेतराम

7/2/4 राकेश

7/2/5 चन्दोदेवी

7/2/6 निरमा

पुत्र/पुत्री श्रवण कुमार अकवाम जाट निवासीयान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।

- 7/3 अमराराम पुत्र चैनाराम (फौत) जरिये वारिसान :-

7/3/1 कृष्णा

7/3/2 पूनम

7/3/3 ममता

7/3/4 बबलू

7/3/5 मुकेश

पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर।
पुत्रीयां अमराराम अकवाम जाट निवासीयान नाहरवाली ढाबां
पुत्रगण अमराराम अकवाम जाट निवासीयान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।

- 7/4 सीताराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

7/5 पप्पी पुत्री चैनाराम पत्नी रामजस जाति जाट निवासी भाखरावाली

7/6 विद्यादेवी पुत्री चैनाराम पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी भाखरावाली।

7/7 बिरमा पुत्री चैनाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी भाखरावाली।

7/8 संतो पुत्री चैनाराम पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी भाखरावाली।

8. जगदीश पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।

9. वेद प्रकाश } पुत्रगण भूपराम अकवाम जाट निवासीयान गोविन्दसर

10. श्योपतराम } तहसील सूरतगढ़



11. हुक्माराम पुत्र नानूराम (फौत) जरिये वारिसान :-

11/1 सन्तरोदेवी पत्न हुक्माराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़

11/2 रामेश्वर पुत्र हुक्माराम (फौत) जरिये वारिसान :-

11/2/1 मैना पत्नी रामेश्वरलाल

11/2/2 प्रवीण उम्र 12 वर्ष } पिसरान रामेश्वरलाल नाबालिक

11/2/3 मोन्टो उम्र 09 वर्ष } जरिये माता मैना पत्नी

रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़।

11/3 भादरराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर

11/4 जीतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर

11/5 सरोज पत्नी कुलदीप } पुत्रगण हुक्माराम अकवाम जाट

11/6 पार्वती पत्नी रजिराम } निवासीयान फकीरावाली


11/7 सुमन पत्नी शिशपाल पुत्री हुक्माराम जाति जाट निवासी नाहरावाली ढाबां।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 111 वर्ष 2025 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार व प्रतिवादी पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि मे से प्रतिवादी नं. 01 इमरती के नाम अंकित भूमि कलमजन किया जाकर उनके नाम अंकित भूमि 0.042 है0 कमाण्ड भूमि में से वादी नं. 01 व प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 को बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इमरती के नाम अंकित भूमि का 1/5 हिस्सा भूमि को सम्मलित करते हुए वादी नं. 01 को चक 3 जी.डी.एम के पत्थर नं. 19/31 के किला नं. 20 में 0.228 है0, 22 ता 25 में 1.012 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 3 में 0.162 है0 पश्चिमी पासा = 1.402 है0 कमाण्ड भूमि व इसी क्रम वादीया नं. 02 को चक 3 जी.डी.एम के पत्थर नं. 19/23 के किला नं. 17 में 0.253 है0, 24-25 में 0.506 है0, = 0.759 है0, व पत्थर नं. 19/32 के किला नं. 4 में 0.2165 है0, 5 में 0.253 है0 = 0.4695 है0 = 1.2285 है0 कमाण्ड भूमि का खातेदारी कृषक घोषित किया जाकर खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिये जाते है। किसी प्रकार की भूमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा।

नोज -----x----- मुबलिंग -----x----- बाबत -----x----- खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह -----x----- फस्दों की पालना -----x----- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.06.26 को जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

